

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14(1)एफ.डी/(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 8080 (5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 2400) से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आरएससी आईटी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री अब्दुल हयूम	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जोन-बीकानेर।	19.11.2015	19.11.2017	27.09.2016	04.02.2012
2	श्री अवधेश कुमार मीणा	मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, धौलपुर।	28.09.2015	28.09.2017	-	31.12.2013

नोट :- क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री अवधेश कुमार मीणा को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ देय होगा एवं कार्मिक को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात ही स्थाई किया जाएगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 22/02/18


क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/230

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जोन-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राज0 जयपुर